



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2023/HQ/Admin/RTI-454

New Delhi: 07.07.2023

श्री जयप्रकाश जायसवाल
पुत्र श्री स्व0 राम नरेश जायसवाल
जायसवाल नगर, ब्योहरा,
रामपुर करछना, प्रयागराज
उत्तर प्रदेश-212301
मोबाइल - 9415018073

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 07.06.2023, जो इस कार्यालय में दिनांक 12.06.2023 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त अतिरिक्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

श्री गौरव शर्मा
महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
चतुर्थ मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 02 पृष्ठ

(एस. के. पण्डा)

संयुक्त महाप्रबंधक/प्रशा. (ज. सू. अ.)
9717636811



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprises

पत्र संख्या: ALD(E)/EN/RTI/71(Vol-III)

दिनांक:- 06.07.2023

Chief Public Information Officer

Corporate Office


New Delhi

विषय: Providing information w.r.t. original application received under RTI Act. 2005.

सन्दर्भ: RTI No. 454 श्री जय प्रकाश जायसवाल पुत्र स्व० राम नरेश जायसवाल नगर ब्योहरा रामपुर
करछना प्रयागराज द्वारा मांगी गई सूचना।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा आवेदक द्वारा मांगी गई बिन्दुवार सूचना निम्नवत् है।

1. संलग्न है।
2. डी०एफ०सी०सी०आईएल० द्वारा आराजी सं० 60 एवं 62 का अधिग्रहण नहीं किया गया है।
3. अभी ग्राम ब्योहरा में डी०एफ०सी०सी०आईएल० द्वारा भूमि अधिग्रहण को अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।
4. ग्राम ब्योहरा में डी०एफ०सी०सी०आईएल० द्वारा आराजी सं० 424 में रकबा 0.3533 हे० व आराजी सं० 425 में रकबा 0.0775 हे० अधिग्रहण किया गया है।
5. ग्राम सभा ब्योहरा में चकमार्ग, नाली, रोड कुआँ व अन्य सरकारी भूमि जिसका अधिग्रहण / पुनर्गहण किया गया है, उसका मुआवजा नियमानुसार सरकारी खाते में जमा कर दी गई है।


(K.S. Dwivedi)

Dy. Project Manager/Engg.
DFCCIL/PRYJ(E)

